



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23042026-271996
CG-DL-E-23042026-271996

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1933]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 2026/वैशाख 2, 1948

No. 1933]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 2026/VAISAKHA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026

का.आ. 2006(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 6004 (अ) तारीख 24/12/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के सूरत जिले में NH48 के कि.मी. 230.680 से कि.मी. 250.000 तक के भू-खण्ड के अतिरिक्त संरचना / पुलो का निर्माण (चौड़ीकरण / छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 20/01/2026 को "गुजरात समाचार" और "द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1)के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के सूरत जिले के मांगरोल और कामरेज तालुका के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 के कि.मी. 230.680 से कि.मी. 250.000 तक के लिए संरचना रहित अथवा संरचना सहित अर्जन की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: सूरत		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मंगरोल					
गांव का नाम: मोटीनरोली					
1	२३८ (पुराना सर्वेक्षण संख्या २११)	सरकारी	गौचर	0.0465	सरकार 238 (Old Survey Number 211)
तालुक का नाम: कामरेज					
गांव का नाम: धोरन पारडी					
2	१७/१.	निजी	कृषि	0.0062	नवीनभाई चंपकभाई, हरीशभाई चंपकभाई, राजेशभाई चंपकभाई, इंदुबेन चंपकभाई, मोहिनीबेन जशवंतभाई, हेमंत जशवंतभाई, टिवंकल जशवंतभाई, भूमिकाबेन जशवंतभाई, मीनाक्षीबेन चंपकभाई, दमयंतीबेन चंपकभाई,

					ज्योत्सनाबेन चंपकभाई 17/1
3	५४८	सरकारी	सड़क	0.0054	श्री सरकार 548
4	६७ (पुराना सर्वेक्षण संख्या ३१५)	निजी	गैर कृषि	0.0087	प्रवीणभाई गोविंदभाई 67 (Old Survey Number 315)
5	७७ (पुराना सर्वेक्षण संख्या ३११/क)	निजी	कृषि	0.0161	वासंतीबेन ते गोविंदभाई गोरधनभाई की विधवा, पिंकीबेन गोविंदभाई, निशाबेन गोविंदभाई, शीतलबेन गोविंदभाई, हितेशभाई गोविंदभाई, भाविनीबेन गोविंदभाई, दलुबेन ते हिम्मतभाई गोरधनभाई की विधवा, दिनेशभाई हिम्मतभाई, दिपकभाई हिम्मतभाई, पार्वतीबेन हिम्मतभाई, अरुणाबेन हिम्मतभाई, हसुमतीबेन हिम्मतभाई, गीताबेन हिम्मतभाई, मीनाबेन हिम्मतभाई, कार्तिकभाई रणछोड़भाई, जिग्नाशा रणछोड़भाई, फाल्गुनी रणछोड़भाई 77 (Old Survey Number 311/K)
6	७८ (पुराना सर्वेक्षण संख्या ३१७)	निजी	कृषि	0.031	नयनाबेन परपोत्तमभाई पांचानी ते भारतभाई कनुभाई देसाई की पत्नी

					78 (Old Survey Number 317)
गांव का नाम: कठोर					
7	रोड	सरकारी	रोड	0.0627	श्री सरकार Road
गांव का नाम: खोलवड					
8	१६१७	निजी	कृषि	0.0022	अब्दुल हामिद यूसुफ काजी, इस्माइल युसुप काज़ी, इब्राहिम यूसुफ काजी, आयसा युसूफ काजी, गुलाम हुसैन इस्माइल दिनदार, मुहम्मद अमीन इस्माइल दिनदार, राबिया इस्माइल दिनदार, इब्राहिम मोहम्मद जशात, अहमद मोहम्मद जशात, काशिमभाई मोहम्मद जशात, अब्दुल समद मोहम्मद जशात, इस्माइल मोहम्मद जशात, जुलेखा मोहम्मद जशात, अयूबभाई मोहम्मद जशात, साराबेन मोहम्मद जशात, मोहम्मद रफीक मोहम्मद अमीन काज़ी 1617
9	३१३४	निजी	कृषि	0.0689	इब्राहिम महमद, यूसुफ महमद, सोयब महमद, अब्बास महमद, सालेहा ते अहमद महमद वेपारी की विधवा, मरियमबीबी अहमद वेपारी,

					ईस्माइल अहमद वेपारी, अब्दुल अजीज अहमद वेपारी, अब्दुल रैय अहमद वेपारी, अब्दुल समद अहमद वेपारी, अस्मा अहमद वेपारी, जुबिनिशा अहमद वेपारी, एच.यू.एफ. अब्दुल समद अहमद वेपारी, फैज़ल मूसा वेपारी, साद मूसा वेपारी, फ़ातेमा मूसा वेपारी, फरहाना मूसा वेपारी, जमीला मूसा वेपारी 3134
10	३१६७	निजी	कृषि	0.0039	शैलेश मगनभाई गोंदलिया 3167
Total				0.2516	

[फा. सं. NHAI/PIU-Surat/15-Bridges/LA/2024/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd April, 2026

S.O. 2006(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, SO No.6004(E) Dated:24/12/2025 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of additional structure / bridges (widening), maintenance, management and operation of NH48 in the stretch of land from Km. 230.680 to Km. 250.000 in Taluka Mangrol & Kamrej, District Surat in the state of GUJARAT,

And whereas the substance of the said notification has been published in “ The Times of India” and “Gujarat Samachar” both dated 20.01.2026; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the NH48 in the stretch of land from Km. 230.680 to Km. 250.000 in Taluka Mangrol & Kamrej, District Surat in the state of GUJARAT.

State: GUJARAT			District: SURAT		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Mangrol					
Village: Moti Naroli					
1	238 (Old Survey Number 211)	Government	Gaucher	0.0465	Government 238 (Old Survey Number 211)
Taluk: Kamrej					
Village: Dhoran Pardi					
2	17/1	Private	Agriculture	0.0062	Navinbhai Champakbhai, Harishbhai Champakbhai, Rajeshbhai Champakbhai, Induben Champakbhai, Mohiniben Jashwantbhai, Hemant Jashwantbhai, Twinkle Jashwantbhai, Bhumikaben Jashwantbhai, Minaxiben Champakbhai, Damyantiben Champakbhai, Jyotshnaben Champakbhai 17/1
3	548	Government	Road	0.0054	Government 548
4	67 (Old Survey Number 315)	Private	Non-Agriculture	0.0087	Pravinbhai Govindbhai 67 (Old Survey Number 315)
5	77 (Old Survey Number 311/K)	Private	Agriculture	0.0161	Vashantiben Widow of Govindbhai Gordhanbhai, Pinkiben Govindbhai, Nishaben Govindbhai, Shitalben Govindbhai, Hiteshbhai Govindbhai,

					Bhaviniben Govindbhai, Daluben Widow of Himmatbhai Gordhanbhai, Dineshbhai Himmatbhai, Dipakbhai Himmatbhai, Parvatiben Himmatbhai, Arunaben Himmatbhai, Hasumatiben Himmatbhai, Geetaben Himmatbhai, Meenaben Himmatbhai, Kartikbhai Ranchhodbhai, Jignasha Ranchhodbhai, Falguni Ranchhodbhai 77 (Old Survey Number 311/K)
6	78 (Old Survey Number 317)	Private	Agriculture	0.031	Naynaben Parshottambhai Panchani w/of Bharatbhai Kanubhai Desai 78 (Old Survey Number 317)
Village: Kathor					
7	Road	Government	Road	0.0627	Government Road
Village: Kholvad					
8	1617	Private	Agriculture	0.0022	Abdul Hamid Yusuf Kazi, Ismail Yusup Kazi, Ibrahim Yusuf Kazi, Aaysa Yusuf Kazi, Gulam Hussien Ismail Dindar, Mahamad Amin Ismail Dindar, Rabiya Ismail Dindar, Ibrahim Mohamad Jasat, Ahmad Mohamad Jasat, Kashimbhai Mohamad Jasat, Abdul Samad Mohamad Jasat, Ismail Mohamad Jasat, Zulekha Mohmad Jasat, Ayubbhai Mohamad Jasat, Saraben

					Mohmad Jasat, Mohmad Rafik Mohmad Amin Kazi 1617
9	3134	Private	Agriculture	0.0689	Ibrahim Mahmad, Yusuf Mahmad, Soyb Mahmad, Abbas Mahmad, Saleha Widow of Ahamad Mahamad Vepari, Mariyambibi Ahamad Vepari, Ishmail Ahamad Vepari, Abdul Aziz Ahamad Vepari, Abdul Ray Ahamad Vepari, Abdul Samad Ahamad Vepari, Asma Ahamad Vepari, Zubinisha Ahamad Vepari, H.U.F. Abdul Samad Ahamad Vepari, Faizal Musa Vepari, Saad Musa Vepari, Fatema Musa Vepari, Farhana Musa Vepari, Jamila Musa Vepari 3134
10	3167	Private	Agriculture	0.0039	Shailesh Maganbhai Gondaliya 3167
Total				0.2516	

[F. No. NHAI/PIU-Surat/15-Bridges/LA/2024/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director